रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903

(1903 का अधिनियम संख्यांक 7)[1]

[20 मार्च, 1903]

रक्षा संकर्म के पास की भूमि के उपयोग और उपभोग पर निर्बन्धन अधिरोपित करने का, जिससे कि ऐसी भूमि को निर्माणों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जा सके, और ऐसे अधिरोपण के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम का अवधारण करने का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

यह समीचीन है कि रक्षा संकर्म के पास की भूमि के उपयोग और उपभोग पर निर्बन्धन अधिरोपित करने का, जिससे कि ऐसी भूमि को निर्माणों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जा सके, और ऐसे अधिरोपण के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम का अवधारण करने का उपबन्ध किया जाए ; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [2]*** रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 है ; और

[3][(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।]

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "भूमि" पद के अन्तर्गत भूमि से उद्‌भूत होने वाले फायदे, और भूबद्ध चीजे या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से पकड़ी हुई चीजें हैं ;

(ख) "हितबद्ध व्यक्ति" पद के अन्तर्गत वे सब व्यक्ति हैं जो भूमि के उपयोग और उपभोग पर इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धनों के अधिरोपण के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं, और किसी व्यक्ति को भूमि में तब हितबद्ध समझा जाएगा यदि वह भूमि पर प्रभाव डालने वाले सुखाचार में हितबद्ध है ;

[4][(ग) "जिला" पद से उन जिलों में से, जिनमें सैनिक प्रयोजनों के लिए भारत को तत्समय विभाजित किया गया है कोई एक जिला अभिप्रेत है ; इसके अन्तर्गत ऐसा ब्रिगेड क्षेत्र, जो किसी जिले का भाग नहीं है, और कोई ऐसा क्षेत्र भी है, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए जिला घोषित करे ;

(घ) "जिला कमान जनरल आफिसर" पद से ऐसा आफिसर अभिप्रेत है जो किसी जिले में बलों का तत्समय कमान कर रहा है ;]

(ङ) "कमान आफिसर" पद से ऐसा आफिसर अभिप्रेत है जो किसी रक्षा संकर्म का तत्समय कमान कर रहा है ;

(च) "कलक्टर" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी है जो कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए [5][केन्द्रीय सरकार] द्वारा इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से नियुक्त किया गया है ;

(छ) "न्यायालय" पद से आरम्भिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय तब तक अभिप्रेत है, जब तक कि [5][केन्द्रीय सरकार] ने इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के कृत्यों का पालन करने के लिए किन्हीं विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी ऐसे विशेष न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति (जिसे करने के लिए वह इसके द्वारा सशक्त है) न कर दी हो ;

(ज) "अनुरक्षण" के अन्तर्गत उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, जब उसका प्रयोग किसी गृह या अन्य सन्निर्माण के संबंध में किया जाता है, ऐसा कोई कार्य करना नहीं है जो ऐसे गृह या सन्निर्माण को, धारा 12 में निर्दिष्ट

---

[1] 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर और 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर यह अधिनियम विस्तारित किया गया।

[2] 1974 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा "भारतीय" शब्द का लोप किया गया।

[3] 1965 के अधिनियम सं० 39 की धारा 2 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1921 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा पूर्ववर्ती खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अधिनिर्णय के किए जाने तक या आपात की दशा में अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व, धारा 6 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त ढाहने की शक्तियों का प्रयोग किए जाने तक, उसी अवस्था में जिसमें वह धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन के समय था, बनाए रखने के लिए आवश्यक है ;

(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रूप में और विस्तार तक "कार्य करने का हकदार" समझा जाएगा, अर्थात् :—

फायदाप्रद रूप में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के न्यासी ऐसे व्यक्ति समझे जाएंगे जो किसी मामले के प्रति निर्देश से कार्य करने के लिए हकदार हैं और उस विस्तार तक हकदार हैं जहां तक यदि फायदा पाने हितबद्ध व्यक्ति निर्योग्यता से मुक्त होते तो वे कार्य कर सकते ;

विवाहित स्त्री को, उन मामलों में जिनमें इंग्लिश विधि लागू है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो इस प्रकार कार्य करने की हकदार है और, चाहे वह पूर्ण वयस्क है या नहीं है, उस विस्तार तक हकदार है जहां तक वह यदि अविवाहित और पूर्ण वयस्क होती तो हकदार होती ; तथा

अप्राप्तवयों के संरक्षकों और पागलों या जड़ों की समितियों या प्रबन्धकों को क्रमश: ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो ऐसे कार्य करने के लिए हकदार हैं और वे उस विस्तार तक हकदार हैं जहां तक वे अप्राप्तवय, पागल या जड़ यदि निर्योग्यता से मुक्त होते तो स्वयं कार्य कर सकते :

परन्तु—

(i) विषयवस्तु में जिस व्यक्ति के हित की बाबत कलक्टर या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि वह उस हितबद्ध व्यक्ति के हित के प्रतिकूल है जिसकी ओर से कार्य करने का वह अन्यथा हकदार होता, तो उसे "कार्य करने का हकदार" नहीं समझा जाएगा ;

(ii) प्रत्येक मामले में हितबद्ध व्यक्ति किसी वाद-मित्र के माध्यम से हाजिर हो सकेगा या वाद-मित्र के माध्यम से हाजिर न होने पर, यथास्थिति, कलक्टर या न्यायालय उस मामले के संचालन में उसकी ओर से कार्य करने के लिए संरक्षक नियुक्त करेगा ;

(iii) कोड आफ सिविल प्रोसिजर[1] (1882 का 14) के अध्याय 31 के उपबन्ध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, उन हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में कलक्टर या न्यायालय के समक्ष वाद-मित्र या मामले के लिए संरक्षक के माध्यम से हाजिर होते हैं ; तथा

(iv) "कार्य करने का हकदार" कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रतिकर धन, जो उस व्यक्ति को संदेय है जिसके लिए वह कार्य करने का हकदार है, प्राप्त करने के लिए तब तक सक्षम नहीं होगा जब तक कि वह उस भूमि का जिसके उपयोग और उपभोग पर निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने हैं, अन्य संक्रामण करने और स्वैच्छिक विक्रय पर क्रय-धन प्राप्त करने और उसके लिए मान्य उन्मोचन देने के लिए सक्षम न हो ।

[2][**2क. किसी क्षेत्र में अप्रवृत विधियों या अविद्यमान किसी कृत्यकारी के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन**—इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति निर्देश का, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, या उसमें किसी ऐसे कृत्यकारी के प्रति निर्देश का, जो किसी क्षेत्र में विद्यमान नहीं हैं, उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, या विद्यमान तत्स्थानी कृत्यकारी, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है ।

भाग 2

निर्बन्धनों का अधिरोपण

3. निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने की घोषणा और सूचना—(1) जब कभी [3][केन्द्रीय सरकार] को यह प्रतीत हो कि किसी रक्षा संकर्म के या ऐसे किसी संकर्म के लिए उपयोग किए जाने या अर्जित किए जाने के लिए आशयित किसी स्थल के पास की भूमि के उपयोग और उपभोग पर निर्बन्धन अधिरोपित करना आवश्यक है जिससे कि ऐसी भूमि को निर्माणों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जा सके तो उस आशय की घोषणा, ऐसी सरकार के सचिव या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी आफिसर के हस्ताक्षर के अधीन की जाएगी ।

(2) उक्त घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसमें वह जिला या अन्य प्रादेशिक खण्ड जिसमें वह भूमि स्थित है, और वह स्थान जहां भूमि के उस रेखानक्शा का, जो ऐसे मापमान पर तैयार किया जाएगा जो एक मील के लिए छह इंच से कम न हो और जिसमें धारा 7 में निर्दिष्ट सीमाएं सुभिन्न की गई हों, निरीक्षण किया जा सकेगा, कथन किया जाएगा और कलक्टर उक्त घोषणा के सार की सार्वजनिक सूचना उस परिक्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर दिलवाएगा ।

[1] अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) अनुसूची 1, आदेश 32 ।
[2] 1965 के अधिनियम सं० 39 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) उक्त घोषणा इस बात की निश्चायक सबूत होगी कि भमि को निर्माणों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखना आवश्यक है ।

4. धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सूचना के प्रकाशन के पश्चात् प्रारम्भिक कार्य करने की शक्ति—धारा 3 की उपधारा (2) में वर्णित सूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय ऐसे किसी अधिकारी के लिए, जिसे केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, और उसके सेवकों और कर्मकारों के लिए ऐसे परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश करना, उसका सर्वेक्षण और समतलन करना, अवमृदा में खुदाई और वेधन करना, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि उस भूमि के उपभोग पर कोई निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने चाहिएं या नहीं और यदि ऐसा है तो वे निर्बन्धन किस प्रकार अधिरोपित किए जाने चाहिएं अन्य सभी कार्य करना, उस भूमि की या ऐसी भूमि के किसी भाग की जिसके उपयोग या उपभोग पर निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने हैं सीमाएं उपवर्णित करना, ऐसे समतलनों, सीमाओं और रेखाओं को चिह्न लगाकर और खाइयां खोदकर चिह्नित करना और जहां अन्यथा ससर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सका हो और समतलन कर लिया गया हो तथा सीमाएं और रेखा चिह्नित कर ली गई हों वहां किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग को काटना और साफ करना विधिपूर्ण होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना अधिभोगी को कम से कम सात दिन पहले दिए बिना किसी निर्माण में या निवासगृह से संलग्न किसी घिरे आंगन या बाग में (जब तक कि उसके अधिभोगी की सहमति न हो) प्रवेश नहीं करेगा ।

5. नुकसान के लिए संदाय—इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी यथापूर्वोक्त पहुंचाए जाने वाले सभी आवश्यक नुकसान के लिए ऐसे प्रवेश के समय संदाय करेगा या संदाय निविदत्त करेगा और इस प्रकार संदत्त या निविदत्त रकम की पर्याप्तता के सम्बन्ध में विवाद होने पर वह उस विवाद को तुरन्त कलक्टर या जिले के अन्य मुख्य राजस्व अधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा ।

6. धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सूचना के प्रकाशन के पश्चात् प्रयोक्तव्य अतिरिक्त शक्तियां—(1) जब कभी धारा 3 के अन्तर्गत कोई घोषणा कर दी गई है और उसकी सार्वजनिक सूचना दे दी गई है, धारा 2 से धारा 4 तक के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे अधिकारी के लिए जिसे [1][केन्द्रीय सरकार] साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे और उसके सेवकों और कर्मकारों के लिए, धरातल पर के किसी निर्माण या अन्य सन्निर्माण में प्रवेश करना और उन्हें ढाहना, सभी या किन्हीं वृक्षों को काटना या उखाड़ना, सभी या किन्हीं किनारों, बाड़ों, झाड़ियों और खाइयों को हटाना या उनमें परिवर्तन करना, भूमिगत और अन्य नालियों को बनाना, सभी उत्खातों को भरना और धरातल के नीचे के सभी निर्माणों और अन्य सन्निर्माणों को ढाहना और साधारणतया उक्त भमि को समतल और साफ करना तथा उसे समतल और साफ करने के लिए ऐसे सभी कार्य करना जो वह आवश्यक या उचित समझे, विधिपूर्ण होगा किन्तु ऐसा इस रीति से किया जाएगा कि विभिन्न स्वामियों द्वारा धारित भूमियों की सीमाओं के साक्ष्य परिरक्षित रखे जा सकें ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग—

(क) उपधारा (3) द्वारा जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, अधिनिर्णय करने के पूर्व, जिसे इसमें इसके पश्चात् धारा 12 में निर्देशित किया गया है नहीं किया जाएगा, और

(ख) उपधारा (4) द्वारा जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, उक्त अधिनिर्णय के किए जाने से छह मास या किसी ऐसी अल्प अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसकी समाप्ति पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी कलक्टर को इस बात की सूचना देता है कि उन शक्तियों का आगे कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) आपात की दशा में [1][केन्द्रीय सरकार] [2]*** राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन के पश्चात् छह मास के भीतर किसी भी समय किया जा सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तद्नुसार किया जाएगा और उक्त अधिसूचना आपात का निश्चायक सबूत होगी ।

(4) उपधारा (2) की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे अधिकारी या उसके सेवकों या कर्मकारों को ऐसे किसी निर्माण अथवा अन्य बाधाओं को, जिनको इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश या उसके अनुसार विहित किसी शर्त के उल्लंघन में अनुरक्षित, निर्मित, परिवर्धित, परिवर्तित, रोपित, राशिकृत, भण्डारित या अन्य रूप से संचित किया गया है, पूर्णत: या भागत: हटाने के प्रयोजन के लिए उक्त शक्तियों का किसी भी समय प्रयोग करने से प्रवारित करती है ।

7. निर्बन्धन—धारा 3 की उपधारा (2) में वर्णित सूचना के प्रकाशन से और उसके पश्चात् निम्नलिखित ऐसे निर्बन्धन, जिन्हें [1][केन्द्रीय सरकार] स्वविवेकानुसार उसमें घोषित करे, ऐसी भूमि के संबंध में लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसी बाहरी सीमा के भीतर जिसका विस्तार, धारा 39 की उपधारा (4) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, संकर्म की बाहरी मुंडेर के शिखर से दो हजार गज की दूरी तक हो सकता है :—

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्द निरसित ।

(i) भूतल में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा और भूमि के ऊपर के किसी निर्माण, दीवार, किनारों या अन्य सन्निर्माण को [1][जिला कमान जनरल आफिसर] के लिखित अनुमोदन से और ऐसी शर्तों पर ही जिन्हें वह विहित करे, अनुरक्षित, परिनिर्मित, परिवर्धित या परिवर्तित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ;

(ii) कोई लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, ईंट, बजरी, रेत या अन्य सामग्री राशिकृत, भंडारित या अन्यथा संचित नहीं की जाएगी :

परन्तु [2][जिला कमान जनरल आफिसर] के लिखित अनुमोदन से और ऐसी शर्तों पर ही जिन्हें वह विहित करे, सड़क की मिट्टी, खाद और कृषि उपज को प्रतिषेध से छूट दी जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के रूप में भूमि पर नियंत्रण रखने वाला कोई व्यक्ति, कमान आफिसर की अध्यपेक्षा पर ऐसी सड़क की मिट्टी, खाद या कृषि उपज को, प्रतिकर के बिना तुरन्त हटाने के लिए आबद्ध होगा ;

(iii) कोई भी सर्वेक्षण कार्य, सैनिक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन भूमि की दशा में कमान आफिसर द्वारा और अन्य दशाओं के कमान आफिसर की सहमति से कलक्टर द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी लोक सेवक द्वारा या उसके वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ; और

(iv) जहां भमि के ऊपर किसी निर्माण, दीवार, किनारे या अन्य सन्निर्माण को अनुरक्षित, परिनिर्मित, परिवर्धित या परिवर्तित किए जाने के लिए, इस उपधारा के खण्ड (i) के अधीन अनुज्ञा दी गई है वहां मरम्मत [1][जिला कमान जनरल आफिसर] के लिखित अनुमोदन के बिना ऐसी सामग्री से नहीं की जाएगी जो उससे भिन्न है जिसका मूल निर्माण, दीवार, किनारा या अन्य सन्निर्माण में प्रयोग किया गया है ;

(ख) ऐसी दूसरी सीमा के भीतर जिसका विस्तार संकर्म की बाहरी मुंडेर के शिखर से एक हजार गज की दूरी तक हो सकता है, खण्ड (क) में प्रगणित निर्बन्धन निम्नलिखित अतिरिक्त परिसीमाओं के साथ लागू होंगे, अर्थात् :—

(i) [3][भूमि के ऊपर किसी निर्माण, दीवार, किनारे या स्थायी सामग्री के अन्य सन्निर्माण को जिला कमान जनरल आफिसर के लिखित अनुमोदन से और ऐसी शर्तों पर ही जो वह विहित करे, अनुरक्षित रखा जाएगा अन्यथा नहीं और न ही ऐसे निर्माण, दीवार, किनारे या अन्य सन्निर्माण का परिनिर्माण किया जाएगा ;]

परन्तु [2][जिला कमान जनरल आफिसर] के लिखित अनुमोदन से और ऐसी शर्तों पर जो वह विहित करे, झोंपड़िया, बाड़े या लकड़ी या आसानी से नष्ट की जाने वाली या हटाई जाने वाली अन्य सामग्री के अन्य सन्निर्माण को अनुरक्षित, परिनिर्मित, परिवर्धित या परिवर्तित किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी के रूप में भूमि पर नियंत्रण रखने वाला कोई व्यक्ति [2][जिला कमान जनरल आफिसर] द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आदेश पर प्रतिकर के बिना ऐसी झोंपड़िया, बाड़ों या अन्य सन्निर्माण को तुरन्त नष्ट करने या हटाने के लिए आबद्ध होगा, और

(ii) हरी झाड़ियों, वृक्षों की कतारों या झुरमुटों या फलोद्यानों को [1][जिला कमान जनरल आफिसर] के लिखित अनुमोदन और ऐसी शर्तों से अन्यथा जो वह विहित करे अनुरक्षित, रोपित, परिवर्धित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा ;

(ग) ऐसी तीसरी सीमा के भीतर जिसका विस्तार संकर्म की बाहरी मुंडेर के शिखर से पांच सौ गज की दूरी तक हो सकता है, खण्ड (क) और (ख) में प्रगणित निर्बन्धन निम्नलिखित अतिरिक्त परिसीमाओं के साथ लागू होंगे, अर्थात् :—

धरातल पर किसी निर्माण या अन्य सन्निर्माण या धरातल के नीचे किसी उत्खनन, निर्माण या अन्य सन्निर्माण को अनुरक्षित या परिनिर्मित नहीं किया जाएगा :

परन्तु कमान आफिसर के लिखित अनुमोदन से और ऐसी शर्तों पर जो वह विहित करे [4][धरातल पर किसी निर्माण या अन्य सन्निर्माण को अनुरक्षित रखा जा सकेगा और] खुली रेलिंगों तथा सूखे क्षुपवन की बाड़ों को इस प्रतिषेध से छूट दी जा सकेगी ।

8. भूमि का चिह्नांकन, मापकरण, रजिस्ट्रीकरण और रेखांकन—पूर्वोक्त घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, कलक्टर भूमि का चिह्नांकन और माप कराएगा तथा एक रजिस्टर और एक ऐसा विस्तृत रेखांक भी तैयार करेगा जो ऐसे मापमान पर होगा जो एक मील के लिए छह इंच से कम न हो और जिसमें प्रत्येक निर्माण, वृक्ष और अन्य बाधाएं सही रूप में दर्शित की जाएंगी ।

9. हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना—(1) कलक्टर—

---

[1] 1921 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा "डिवीजन कमान, जनरल आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1921 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा "डिवीजन, जिला या ब्रिगेड कमान जनरल आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1940 के अधिनियम सं० 28 की धारा 2 द्वारा मूल शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1940 के अधिनियम सं० 28 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) धारा 3 में निर्दिष्ट घोषणा के प्रकाशन से अठारह मास की अवधि के, या

(ख) उक्त प्रकाशन से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अन्य अवधि के, जिसे [1][केन्द्रीय सरकार] [2]*** राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करे,

अवसान के पूर्व किसी भी समय भूमि पर या उसके निकट सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना दिलाएगा जिसमें उक्त घोषणा के प्रभाव का और इस बात का कथन होगा कि ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए, जो ऐसी घोषणा के अनुसरण में की गई या आदिष्ट किसी बात से प्रभावित है, प्रतिकर के दावे उसको किए जा सकेंगे :

परन्तु जहां, आपात की दशा में, धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई बात की गई है वहां तत्पश्चात् इस धारा द्वारा यथाशक्य शीघ्र, विहित सूचना दी जाएगी ।

(2) ऐसी सूचना में किसी ऐसे नुकसान की, जिसके किए जाने के लिए आदेश किया गया है या जिसे धारा 6 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट दशा में, उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करते हुए किया गया है, विशिष्टियों का और धारा 7 के अधीन भूमि के संलग्न किन्हीं निर्बन्धनों की विशिष्टियों का कथन होगा और उस सूचना द्वारा भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे उसमें वर्णित समय और स्थान पर, ऐसा समय सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् पन्द्रह दिन से पूर्वतर का नहीं होगा, कलक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हों और उस भमि में अपने-अपने हितों के स्वरूप और ऐसे हितों के नुकसान के प्रतिकर ही रकम और प्रतिकर के लिए अपने दावों की विशिष्टियां और धारा 8 के अधीन किए गए मापों पर अपने आक्षेप (यदि कोई हों) कथित करे । कलक्टर किसी मामले में इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा कथन लिखित रूप में किया जाएगा और उस पर पक्षकार या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे ।

(3) कलक्टर उस राजस्व जिले के भीतर से जिसमें वह भूमि स्थित है, ऐसी भूमि के अधिभोगी को (यदि कोई हो) और सभी ऐसे व्यक्ति को, जिनका उसमें हितबद्ध होना ज्ञात है या हितबद्ध होने का विश्वास किया जाता है या जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों के लिए काम करने के लिए हकदार हैं, और जो उस राजस्व जिले में जिसमें भूमि स्थित है निवास करते हैं या जिनके उसमें उनकी ओर के तामील प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता हैं, उस आशय की सूचना तामील करेगा ।

(4) यदि इस प्रकार हितबद्ध कोई व्यक्ति अन्यत्र रहता है और उसका ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है तो सूचना उसको संबोधित पत्र में उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पते या कारबार के स्थान पर डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

10. नामों और हितों के बारे में कथन करने की अपेक्षा करने और उन्हें प्रवर्तित कराने की शक्ति—कलक्टर ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह वर्णित समय और स्थान पर (ऐसा समय अध्यपेक्षा की तारीख के पश्चात् पन्द्रह दिन से पूर्व का नहीं होगा) एक ऐसा विवरण दे या प्रदत्त करे जिसमें, जहां तक व्यवहार्य हो, उस भूमि में या उसके किसी भाग में सह-स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा, कोई हित रखने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का नाम और ऐसे हित का स्वरूप और विवरण की तारीख से निकट पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उस लेखे प्राप्त किए गए या प्राप्य भाटक और लाभ (यदि कोई हों) अंतर्विष्ट हों ।

11. भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं का लागू होना—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे धारा 9 और धारा 10 के अधीन विवरण देने या परिदत्त करने की अपेक्षा की गई है, ऐसा करने के लिए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175 और धारा 176 के अर्थ में विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

12. कलक्टर द्वारा जांच और अधिनिर्णयन—धारा 9 के अधीन नियत दिन को या किसी अन्य दिन को, जिस तक वह जांच स्थगित कर दी गई है, कलक्टर उन आक्षेपों की (यदि कोई हों) जिनका विवरण उक्त धारा के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में किसी हितबद्ध व्यक्ति ने, धारा 8 के अधीन दिए गए मापों की बाबत दिया है और भूमि के मूल्य में कमी की तथा प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्तियों के अपने-अपने हितों की, जांच करने के लिए अग्रसर होगा, और

(क) भूमि के सही क्षेत्रफल और उन बाधाओं के, जिनसे भूमि को मुक्त रखा जाना है, स्वरूप की बाबत;

(ख) उस प्रतिकर की बाबत जो उसकी राय में धारा 6 के अधीन हुए या होने वाले किसी नुकसान के लिए और धारा 7 के अधीन अधिरोपित किन्हीं निर्बन्धनों के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए ; तथा

(ग) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह ज्ञात है या विश्वास किया जाता है कि वे उस भूमि में हितबद्ध हैं और जिनके संबंध में या जिनके दावों के संबंध में उसे जानकारी है, चाहे वे उसके समक्ष क्रमश: उपसंजात हुए हों या नहीं, उन व्यक्तियों में उक्त प्रतिकर के प्रभाजन की बाबत,

अधिनिर्णय अपने हस्ताक्षर से देगा ।

13. कलक्टर का अधिनिर्णय कब अंतिम होगा—(1) ऐसा अधिनिर्णय कलक्टर के कार्यालय में फाइल किया जाएगा और जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है उसके सिवाय अंतिम होगा तथा कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच, चाहे वे कलक्टर के समक्ष क्रमश: उपसंजात हुए हैं या नहीं, भूमि के सही क्षेत्रफल का, उक्त बाधाओं के स्वरूप का, जिनसे भूमि को मुक्त रखा जाना है, धारा 6 के

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्द निरसित ।

अधीन हुए या होने वाले नुकसान का, धारा 7 के अधीन निर्बन्धित अधिकारों के मूल्य का और हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर के प्रभाजन का निश्चायक सबूत होगा ।

(2) कलक्टर अपने अधिनिर्णयन की सूचना हितबद्ध व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को अविलंब देगा जो स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा उस समय उपस्थित नहीं हैं, जब अधिनिर्णय दिया जाता है ।

14. जांच का स्थगन—कलक्टर ऐसे हेतुक के लिए जिसे वह उचित समझे जांच को, समय-समय पर ऐसे दिन के लिए स्थगित कर सकेगा जो वह नियत करे ।

15. साक्षियों को समन करने और उनको हाजिर और दस्तावेजों को पेश कराने की शक्ति—इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए कलक्टर को, उन्हीं साधनों द्वारा और (जहां तक हो सके) उसी रीति में, जो सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता (1882 का 14)[1] के अधीन उपबंधित है, साक्षियों को, जिनके अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार भी आते हैं या उनमें से किसी को समन करने, उनको हाजिर कराने और दस्तावेजें पेश कराने के लिए उन्हें बाध्य करने की शक्ति होगी ।

16. वे बातें, जिन पर ध्यान दिया जाएगा और जिनकी उपेक्षा की जाएगी—प्रतिकर की रकम का अवधारण करते समय कलक्टर का मार्गदर्शन धारा 23 और धारा 24 में अन्तर्विष्ट उपबंध करेंगे ।

17. अनुपूरक कार्यवाहियां—जब कभी धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी यह आवश्यक समझता है कि ऐसी कोई बात, जिसकी बाबत कोई व्यक्ति प्रतिकर के लिए हकदार है या हकदार हो सकता है किन्तु जिसकी क्रमश: धारा 9 और धारा 12 के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है या प्रतिकर नहीं दिया गया है, उक्त शक्तियों के अनुसरण में की जानी चाहिए तब कलक्टर, यथाशक्य मिलती जुलती अनुपूरक सूचना धारा 9 द्वारा विहित रीति से और उस धारा की उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित समय सीमा के अधीन रहते हुए दिलवाएगा और धारा 10 से धारा 16 तक के उपबंध, जहां तक वे लागू हों, ऐसी किसी अतिरिक्त जांच और अधिनिर्णय को लागू समझे जाएंगे जो ऐसी अनुपूरक सूचना के परिणामस्वरूप की जाए या दिया जाए ।

भाग 3

न्यायालय को निर्देश और उस पर प्रक्रिया

18. न्यायालय को निर्देश—(1) ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय को प्रतिगृहीत नहीं किया है, कलक्टर को किए गए लिखित आवेदन द्वारा इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि कलक्टर उस मामले को, चाहे उस व्यक्ति का आक्षेप भूमि की माप के लिए, प्रतिकर की रकम के लिए, जिस व्यक्ति को वह संदेय है उसके लिए या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रयोजन के लिए हो, न्यायालय के अवधारण के लिए निर्देशित कर दे :

परन्तु ऐसा प्रत्येक आवेदन :—

(क) यदि आवेदन करने वाला व्यक्ति उस समय जब कलक्टर ने अधिनिर्णय दिया था कलक्टर के समक्ष उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था तो कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर ;

(ख) अन्य दशाओं में, धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन कलक्टर से सूचना की प्राप्ति के छह सप्ताह या कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह मास, इनमें से जिस अवधि का पहले अवसान हो, उसके भीतर,

किया जाएगा ।

(2) आवेदन में उन आधारों का विवरण दिया जाएगा जिन पर अधिनिर्णय के प्रति आक्षेप किया गया है ।

19. न्यायालय के लिए कलक्टर का विवरण—(1) निर्देश करते समय कलक्टर न्यायालय की जानकारी के लिए—

(क) धारा 6 के अधीन हुए किसी नुकसान की या धारा 7 के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों की विशिष्टियों सहित भूमि की स्थिति और विस्तार का ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नामों का, जिनको ऐसी भूमि में हितबद्ध समझने का उसके पास कारण है,

(ग) प्रतिकर की उस रकम का, जो धारा 12 के अधीन अधिनिर्णीत की गई है, और

(घ) यदि आक्षेप प्रतिकर की रकम के बारे में है तो उन आधारों का, जिन पर प्रतिकर की रकम अवधारित की गई थी,

लिखित विवरण अपने हस्ताक्षर से देगा ।

(2) उक्त विवरण के साथ एक अनुसूची संलग्न होगी जिसमें क्रमश: हितबद्ध पक्षकारों पर तामील की गई सूचनाओं की और उनके द्वारा लिखित रूप में दिए गए या परिदत्त किए गए विवरणों की विशिष्टियां दी जाएंगी :—

[1] अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) ।

20. सूचना की तामील—न्यायालय तब निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(क) आवेदक,

(ख) आक्षेप में हितबद्ध सभी व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों के सिवाय (यदि कोई हों) जो बिना किसी अभ्यापत्ति के अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के लिए सहमत हो गए हैं, तथा

(ग) यदि आक्षेप भूमि के क्षेत्रफल, बाधाओं के स्वरूप या प्रतिकर की रकम के विषय में है, तो कलक्टर,

को सूचना तामील कराएगा जिसमें वह दिन, जिसको न्यायालय आक्षेप के अवधारण की कार्यवाही करेगा, विनिर्दिष्ट करेगा और उस दिन न्यायालय के समक्ष उनकी उपसंजाति के लिए निदेश करेगा ।

21. कार्यवाहियों की परिधि पर निर्बन्धन—ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में जांच की परिधि उन व्यक्तियों के हितों पर जिन पर आक्षेप का प्रभाव पड़ा है विचार करने तक निर्बन्धित रहेगी ।

22. कार्यवाहियों का खुले न्यायालय में होना—ऐसी प्रत्येक कार्यवाही खुले न्यायालय में होगी और उस राज्य में किसी सिविल न्यायालय में व्यवसाय करने के लिए हकदार सभी व्यक्ति ऐसी कार्यवाही में, यथास्थिति, उपसंजात होने, अभिवचन करने और कार्य करने के लिए हकदार होंगे ।

23. प्रतिकर अवधारित करते समय विचारणीय बातें—(1) इस अधिनियम के अधीन हुए या होने वाले नुकसान के लिए या इसके अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर की रकम अवधारित करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा ।

(क) धारा 3 के अधीन उससे संबंधित घोषणा के प्रकाशन के कारण और धारा 6 के अधीन हुए या होने वाले किसी नुकसान के कारण भूमि के बाजार मूल्य में हुई वास्तविक कमी ;

(ख) धारा 6 द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी खड़ी फसल के हटाए जाने के कारण हितबद्ध व्यक्तियों को हुआ नुकसान ;

(ग) हितबद्ध व्यक्ति को, उसकी अन्य भूमि के साथ संयुक्तत: ऐसी भूमि का उपयोग करने में समर्थ न रह जाने के कारण हुआ नुकसान (यदि कोई हो) ;

(घ) धारा 6 और धारा 7 के अधीन की गई या आदिष्ट किसी बात से, जिससे किसी भी अन्य रीति से उसकी अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति पर या उसके उपार्जन पर हानिकारक रूप से प्रभाव पड़ा है, हितबद्ध व्यक्ति को हुआ नुकसान (यदि कोई हो) ;

(ङ) यदि निर्बन्धनों के अधिरोपित किए जाने के परिणामस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपने निवास या कारबार का स्थान बदलने के लिए विवश हो जाता है, तो ऐसे परिवर्तन से हुए आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हों) ।

(2) भूमि के बाजार मूल्य में वास्तविक कमी को बताने वाली रकम के अतिरिक्त जैसा कि ऊपर उपबन्धित किया गया है, प्रत्येक मामले में न्यायालय ऐसी रकम के पन्द्रह प्रतिशत अतिरिक्त राशि अधिनिर्णीत करेगा ।

24. प्रतिकर अवधारित करते समय विचार न की जाने वाली बातें—इस अधिनियम के अधीन हुए या होने वाले नुकसान के लिए या अधिरोपित निर्बन्धनों के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर की रकम अवधारित करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार नहीं करेगा :—

(क) अत्यावश्यकता की वह मात्रा जिसके कारण नुकसान हुआ, या निर्बन्धन अधिरोपित किए गए ;

(ख) नुकसान या निर्बन्धन मानने में हितबद्ध व्यक्ति की कोई अनिच्छा ;

(ग) उसको हुआ ऐसा कोई नुकसान, जो यदि प्राईवेट व्यक्ति द्वारा किया गया होता तो उसके लिए उस पर वाद न लाया जा सकता ;

(घ) हितबद्ध व्यक्ति की अन्य भूमि के मूल्य में इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात से प्रोद्भूत या सम्भाव्यत: प्रोद्भूत कोई वृद्धि ; अथवा

(ङ) धारा 3 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् कलक्टर की मंजूरी के बिना भूमि पर प्रारंभ किया गया या उस पर किया गया या प्रभावी कोई परिव्यय, सुधार या उसका व्ययन ।

25. प्रतिकर की रकम के बारे में नियम—(1) जब आवेदक ने प्रतिकर का कोई दावा धारा 7 के अधीन दी गई किसी सूचना के अनुसरण में किया है तब न्यायालय द्वारा उसको अधिनिर्णीत रकम इस प्रकार दावा की गई रकम से अधिक नहीं होगी अथवा कलक्टर द्वारा धारा 12 के अधीन अधिनिर्णीत रकम से कम नहीं होगी ।

(2) जब आवेदक ने ऐसा दावा करने से इंकार कर दिया है या उसने बिना ऐसे पर्याप्त कारण के (जिसे न्यायाधीश अनुज्ञात करे) ऐसा दावा करने का लोप किया है तब न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी ।

(3) जब आवेदक ने बिना ऐसे पर्याप्त कारण के (जिसे न्यायाधीश अनुज्ञात करे) ऐसा दावा करने का लोप किया है तब न्यायालय द्वारा उसको अधिनिर्णीत रकम कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से कम नहीं होगी किन्तु उससे अधिक हो सकेगी ।

26. अधिनिर्णयों का प्ररूप—इस भाग के अधीन किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय लिखित रूप से होगा और उस पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे तथा उसमें धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अधिनिर्णीत रकम और उसी उपधारा के क्रमश: प्रत्येक अन्य खंडों के अधीन अधिनिर्णीत रकमें भी (यदि कोई हों) जिनके साथ उक्त प्रत्येक रकम के अधिनिर्णीत किए जाने के उधार भी होंगे, विनिर्दिष्ट होंगी ।

27. खर्चे—(1) ऐसे प्रत्येक अधिनिर्णय में इस भाग के अधीन की गई कार्यवाहियों में उपगत खर्चों की रकम का और इस बात का भी विवरण दिया जाएगा कि इन खर्चों का संदाय किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में किया जाना है ।

(2) जब कलक्टर के अधिनिर्णय की पुष्टि नहीं की जाती है तब खर्चा, जब तक कि न्यायालय की यह राय न हो कि आवेदक का दावा इतना अत्यधिक था या कलक्टर के समक्ष अपना मामला रखने में वह इतना उपेक्षावान था कि उसके खर्चे में से कुछ कटौती की जानी चाहिए या उसे कलक्टर के खर्चे का कोई भाग संदत्त करना चाहिए, सामान्यत: कलक्टर द्वारा संदाय किया जाएगा ।

28. अतिरिक्त प्रतिकर पर ब्याज का संदाय करने का निदेश कलक्टर को दिया जा सकेगा—यदि वह राशि, जो न्यायालय की राय में, कलक्टर द्वारा प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जानी चाहिए थी, उस राशि से जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है, अधिक है तो न्यायालय यह निदेश कर सकेगा कि कलक्टर, अपने अधिनिर्णय की तारीख से न्यायालय में ऐसे आधिक्य के संदाय की तारीख तक ऐसे आधिक्य पर छह प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज का संदाय न्यायालय में करे ।

भाग 4

प्रतिकर का प्रभाजन

29. प्रभाजन की विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट किया जाना—जहां कई हितबद्ध व्यक्ति हैं, वहां यदि ऐसे व्यक्ति प्रतिकर का प्रभाजन करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ऐसे प्रभाजन की विशिष्टियां अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट की जाएंगी और वह अधिनिर्णय ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रभाजन के ठीक होने का निश्चायक साक्ष्य होगा ।

30. प्रभाजन के बारे में विवाद—जब प्रतिकर की रकम धारा 12 के अधीन तय की गई है तब यदि उसके या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में, जिनको वह या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उद्‌भूत होता है तो कलक्टर ऐसे विवाद को न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकेगा ।

भाग 5

संदाय

31. प्रतिकर का संदाय या उसका न्यायालय में निक्षेप—(1) धारा 12 के अधीन कोई अधिनिर्णय करने पर कलक्टर अपने द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय हितबद्ध व्यक्तियों को जो अधिनिर्णय के अनुसार उसके लिए हकदार हों, निविदत्त करेगा और जब तक उपधारा (2) में वर्णित आकस्मिकताओं में से किसी एक या अधिक द्वारा ऐसा करने से उसे निवारित न किया गया हो, उनको उस प्रतिकर का संदाय करेगा ।

(2) यदि वे उस प्रतिकर को प्राप्त करने के लिए सम्मति नहीं देते हैं या यदि भूमि का अन्य संक्रामण करने के लिए कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं है या यदि प्रतिकर प्राप्त करने के हक के बारे में या उसके प्रभाजन के बारे में कोई विवाद है तो कलक्टर प्रतिकर की रकम उस न्यायालय में निक्षिप्त करेगा जिसको धारा 18 के अधीन निर्देश प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु प्रथमत: ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी बाबत यह स्वीकार कर लिया गया है कि वह हितबद्ध व्यक्ति है, रकम की पर्याप्तता के बारे में अभ्यापत्ति के अधीन ऐसा संदाय प्राप्त कर सकेगा :

परन्तु द्वितीयत: ऐसा कोई व्यक्ति, जो रकम अभ्यापत्ति के अधीन प्राप्त करने से अन्यथा प्राप्त कर चुका है, धारा 18 के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु तृतीयत: इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति के जो इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत सम्पूर्ण प्रतिकर या उसका कोई भाग प्राप्त करे, उसके लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति को उसका संदाय करने के दायित्व पर प्रभाव न डालेगी ।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कलक्टर किसी भूमि की बाबत धन-प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के बजाय ऐसे व्यक्ति से, जिसका ऐसी भूमि में सीमित हित है, या तो विनिमय में अन्य भूमियों के अनुदान द्वारा, या उसी भूमि पर या उसी हक के

अधीन धृत अन्य भूमियों पर भू-राजस्व के परिहार द्वारा या ऐसी अन्य रीति में जैसी सम्पृक्त पक्षकारों के हितों का ध्यान रखते हुए साम्यापूर्ण हो, कोई ठहराव, [1][केन्द्रीय सरकार] की मंजूरी से, कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भूमि में हितबद्ध और उसकी बाबत संविदा करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति के साथ कोई ठहराव करने की कलक्टर की शक्ति में हस्तक्षेप करती है या उसे सीमित करती है ।

32. अन्य संक्रामण करने के लिए अक्षम व्यक्तियों की भूमियों की बाबत निक्षिप्त धन का विनिधान—(1) यदि कोई धन धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय में निक्षिप्त किया जाता है और यह प्रतीत होता है कि जिस भूमि की बाबत वह अधिनिर्णीत किया गया था वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसे उसका अन्य संक्रामण करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी तो न्यायालय—

(क) स्वामित्व के वैसे ही हक और शर्तों के अधीन धारित की जाने वाली अन्य भूमियों के, जैसे वह भूमि जिसकी बाबत ऐसा धन निक्षिप्त किया गया है धारित है, क्रय में, अथवा

(ख) यदि ऐसा क्रय तुरन्त न किया जा सकता हो तो ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जैसी वह ठीक समझे,

उस धन के विनिहित किए जाने का आदेश देगा और ऐसे विनिधान से उद्‌भूत होने वाले ब्याज या अन्य आगमों का संदाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को करने का निदेश देगा जो उस समय उक्त भूमि के कब्ज़े के हकदार हैं, और ऐसे धन इस प्रकार तब तक निक्षिप्त और विनिहित रहेंगे जब तक कि वे—

(i) यथापूर्वोक्त ऐसी अन्य भूमियों के क्रय में, अथवा

(ii) उसके लिए आत्यन्तिकत: हकदार होने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय करने में,

उपयोजित न कर दिए जाएं ।

(2) निक्षिप्त धन के ऐसे सभी मामलों में, जिन्हें यह धारा लागू होती है, न्यायालय निम्नलिखित बातों के खर्चे, अर्थात् :—

(क) यथापूर्वोक्त ऐसे विनिधानों के खर्चे,

(ख) जिन प्रतिभूतियों में ऐसे धन तत्समय विनिहित किए गए हैं उनके ब्याज या अन्य आगमों के संदाय के और ऐसे धनों के मूल का संदाय न्यायालय के बाहर करने के आदेशों के और, जो कार्यवाहियां प्रतिकूल दावेदारों के बीच मुकदमेबाजी के कारण हुई हों उनको छोड़कर, उनसे सम्बद्ध कार्यवाहियों के खर्चे,

जिनके अन्तर्गत उनके आनुषंगिक सभी युक्तियुक्त प्रभार और व्यय भी हैं, कलक्टर द्वारा संदाय किए जाने का आदेश देगा ।

33. अन्य मामलों में निक्षिप्त धन का विनिधान—यदि धारा 32 में वर्णित हेतुक से भिन्न किसी हेतुक के लिए कोई धन इस अधिनियम के अधीन न्यायालय में निक्षिप्त किया गया है तो न्यायालय ऐसे धन में हितबद्ध या उसमें किसी हित का दावा करने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पर, उसे ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जैसी वह ठीक समझे, विनिहित करने का आदेश दे सकेगा और ऐसे किसी विनिधान के ब्याज या अन्य आगमों को ऐसी रीति से संचित किए जाने और संदाय किए जाने का निदेश दे सकेगा जिससे कि उसमें हितबद्ध पक्षकारों को न्यायालय की राय में उससे वही लाभ मिल सके जो उन्हें उस भूमि से हुआ होता जिसकी बाबत ऐसा धन निक्षिप्त किया गया था ।

34. ब्याज का संदाय—जब इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर की रकम, अधिनिर्णय करने से पन्द्रह दिन के भीतर, संदत्त या निक्षिप्त नहीं की जाती है तब कलक्टर अधिनिर्णीत रकम का, अधिनिर्णय की तारीख से जब तक कि उसे ऐसे संदत्त या निक्षिप्त नहीं किया जाता है उस पर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित संदाय करेगा ।

भाग 6

प्रकीर्ण

35. सूचनाओं की तामील—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना की तामील, धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की दशा में, उसमें वर्णित अधिकारी द्वारा और किसी अन्य सूचना की दशा में कलक्टर या न्यायाधीश द्वारा या उसके आदेश से हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति को परिदत्त या निविदत्त करके की जाएगी ।

(2) जब कभी यह कहना साध्य हो सूचना की तामील उसमें नामित व्यक्ति पर की जाएगी ।

(3) जब ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सके तब उसकी तामील उसके कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है, और यदि ऐसा कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं पाया जा सके, तो सूचना की तामील उस गृह के जिसमें वह व्यक्ति, जो उस सूचना में नामित है मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है, बाहरी द्वार पर, उसकी प्रति लगाकर या

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

पूर्वोक्त अधिकारी या कलक्टर के कार्यालय में या न्याय सदन में किसी सहजदृश्य स्थान पर और उस भूमि के जिस पर निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने हैं, किसी सहजदृश्य भाग में भी, उसकी एक प्रति लगाकर की जा सकेगी :

परन्तु यदि कलक्टर या न्यायाधीश ऐसा निदेश देता है तो सूचना ऐसे पत्र में, जो उसमें नामित व्यक्ति को सम्बोधित है उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान, पते या कारबार के स्थान पर डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और उसकी तामील सम्बोधिती की रसीद पेश करके साबित की जा सकेगी ।

36. शास्तियां—ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर—

(क) धारा 4, धारा 6 और धारा 8 द्वारा प्राधिकृत किन्हीं कृत्यों को करने में किसी व्यक्ति को बाधित करता है, या

(ख) धारा 6 के अधीन बनाए गए धरातल या किए गए कार्य को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसमें परिवर्तन या अन्यथा रूप में हस्तक्षेप करता है, या

(ग) धारा 7 के उपबंधों में से किसी का या उसके नीचे विहित किसी शर्त का उल्लंघन करता है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, और जारी रखने वाले अपराध की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके विषय में वह लगातार अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, पांच रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और उसके अपराध के परिणमों को हटाने में हुए किसी व्यय की वसूली उससे उसी रीति से की जा सकेगी जो जुर्माने की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उपबंधित है ।

37. अधिनियमों के निर्बन्धनों को प्रवर्तित करने के लिए मजिस्ट्रेट—यदि इस अधिनियम द्वारा निर्देशित या अनुज्ञात किसी बात को करने में कलक्टर या धारा 6 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी का विरोध किया जाता है या रोका जाता है, तो, यदि वह मजिस्ट्रेट है तो, उसका अनुपालन कराएगा और यदि वह मजिस्ट्रेट नहीं है तो, वह मजिस्ट्रेट को [1][या उस क्षेत्र के भीतर जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है पुलिस आयुक्त] को आवेदन करेगा और, यथास्थिति, ऐसा मजिस्ट्रेट या आयुक्त उसका अनुपालन कराएगा ।

38. निर्बन्धनों का अधिरोपण पूरा करना अनिवार्य नहीं है किन्तु जब उसे पूरा नहीं किया गया है तब प्रतिकर का अधिनिर्णीत किया जाना—(1) [2][केन्द्रीय सरकार,] धारा 6 द्वारा प्राधिकृत उपायों में से किसी को क्रियान्वित करने के पहले, घोषित निर्बन्धनों में से किसी को अधिरोपित किए जाने से प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

(2) जब कभी [2][केन्द्रीय सरकार] किन्हीं घोषित निर्बन्धनों के अधिरोपण को प्रत्याहृत कर लेती है तब कलक्टर किसी सूचना के या उसके अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप स्वामी द्वारा उठाए गए नुकसान के लिए शोध्य प्रतिकर की रकम अवधारित करेगा और हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी रकम का उन सभी खर्चों सहित संदाय करेगा जो उस व्यक्ति ने उक्त निर्बन्धनों की बाबत इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संचालन में युक्तियुक्त रूप से उपगत किए हैं ।

(3) भाग 3 के उपबंध इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर के अवधारण को, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

39. गृह या निर्माण के भाग को ढा देना और भूमि के भाग पर निर्बन्धनों का अधिरोपण—(1) इस अधिनियम के उपबंध किसी गृह, विनिर्माणशाला या अन्य निर्माण के केवल एक भाग को ढाहने या ढाहने के अधिकार को अर्जित करने के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त नहीं किया जाएगा यदि स्वामी यह वांछा करता है कि ऐसे पूरे गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरे निर्माण को ढाया जाएगा या उसको पूरी तरह से ढाने के अधिकार को अर्जित किया जाएगा :

परन्तु स्वामी, धारा 12 के अधीन कलक्टर द्वारा अपना अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व किसी भी समय, अपनी यह अभिव्यक्त वांछा कि ऐसा पूरा गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरा निर्माण ढाया जाएगा या उसको पूरी तरह से ढाने के अधिकार को अर्जित किया जाएगा, लिखित सूचना द्वारा प्रत्याहृत या उपान्तरित कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि कोई निर्माण या अन्य सन्निर्माण, जिसे इस अधिनियम के अधीन ढाने की प्रस्थापना है, इस धारा के अर्थ में किसी गृह, विनिर्माणशाला या निर्माण का भाग है या नहीं, यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होगा तो कलक्टर ऐसे प्रश्न का अवधारण न्यायालय को निर्देशित करेगा और ऐसे निर्माण या अन्य सन्निर्माण को तब तक नहीं ढाएगा जब तक कि वह प्रश्न अवधारित नहीं कर दिया जाता है ।

न्यायालय ऐसे निर्देश पर विनिश्चय करते समय इस प्रश्न को ध्यान में रखेगा कि वह निर्माण या अन्य सन्निर्माण, जिसे ढाने की प्रस्थापना है, उस गृह, विनिर्माणशाला या निर्माण के पूर्ण और अविकल उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से, अपेक्षित है ।

(2) यदि, अपनी किसी अन्य भूमि के साथ उस भूमि के, जिसके उपयोग और उपभोग पर निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने हैं, उपयोग योग्य न रह जाने के कारण हितबद्ध व्यक्ति द्वारा धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई दावा करने की दशा में, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि दावा अयुक्तियुक्त या अत्यधिक है तो वह कलक्टर द्वारा अपना अधिनिर्णय किए जाने के

---

[1] 1974 के अधिनियम सं० 50 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

पूर्व किसी भी समय, उस सम्पूर्ण भूमि पर जिसकी वह भूमि, जिसके उपयोग और उपभोग पर पहले निर्बन्धन अधिरोपित करना ईप्सित था, भाग है, निर्बन्धनों के अधिरोपण का आदेश दे सकेगी ।

(3) उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित दशा में धारा 3 से धारा 10 तक के अधीन कोई नई घोषणा या अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी ; किन्तु कलक्टर हितबद्ध व्यक्ति को [1][केन्द्रीय सरकार] के आदेश की एक प्रति अविलम्ब देगा और उसके पश्चात् धारा 12 के अधीन अपना अधिनिर्णय करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(4) धारा 7 के खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि को, जिसके उपयोग और उपभोग पर इस धारा के अधीन निर्बन्धन अधिरोपित किए गए हैं, बाहरी सीमा में सम्मिलित किया जा सकेगा यद्यपि उसकी दूरी संकर्म के बाहरी मुंडेर के शिखर से दो हजार गज से अधिक है ।

40. स्टाम्प शुल्क और फीस से छूट—इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अधिनिर्णय या करार पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा और ऐसे किसी अधिनिर्णय या करार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी प्रति के लिए कोई फीस देने के लिए दायी नहीं होगा ।

41. अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए वादों की दशा में सूचना—इस अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही जब तक ऐसे व्यक्ति को आशयित कार्यवाही की और उसके हेतुक की लिखित एक मास की पूर्व सूचना न दे दी जाए या पर्याप्त अभितुष्टि निविदत्त करने के पश्चात् प्रारंभ नहीं की जाएगी या अभियोजित नहीं की जाएगी ।

42. न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना—सिविल प्रक्रिया संहिता (1882 का 14)[2] के उपबन्ध वहां तक के सिवाय, जहां तक वे इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत हैं, इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

43. न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में अपीलें—सिविल प्रक्रिया संहिता (1882 का 14)[1] के उन उपबन्धों के अधीन रहते हुए जो मूल डिक्रियों से अपीलों को लागू होते हैं, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय के अधिनिर्णय या अधिनिर्णय के किसी भाग से कोई अपील, उच्च न्यायालय में होगी ।

44. नियम बनाने की शक्ति—(1) [3][केन्द्रीय सरकार,] उन सभी बातों के बारे में जो इस अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित हैं अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए [3][नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी] ।

(2) उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएं ।

[4][(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

———

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) ।
[3] 1974 के अधिनियम सं० 50 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1974 के अधिनियम सं० 50 की धारा 4 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।